न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 153/2012 वाद

1– मोहनलाल पिता दुर्गा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
2– राजू पिता दुर्गा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
3– श्यामलाल पिता दुर्गा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
4– जीतमल पिता दुर्गा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
5– गोपाल पिता दुर्गा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
6– मोज बाई पुत्री दुर्गा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
7– चौसर बाई पुत्री दुर्गा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
8– हीरा बाई पुत्री दुर्गा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
9– मु. कजोडी बाई बेवा दुर्गा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।

– वादीगण

//बनाम//

1– रोडी लाल पिता अमरा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
2– बंशीलाल पिता अमरा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
3– गोरीलाल पिता अमरा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
4– अमर सिंह पिता हेमा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
5– गंगाराम पिता हेमा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
6– वकील पिता दल सिंह बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
7– जयसिंह पिता हेमा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
8– लालू पिता दल्ला बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
9– राजू पिता गोरीलाल बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
10–रोडीलाल पिता रूपा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
11–चन्दा पिता धन्ना बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
12–रामलाल पिता किशना बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
13–गंगाराम पिता किशना बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
14–राजू पिता मांगु बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
15–हेमराज पिता किशना बंजारा, आयु वयस्क, निवासी कदमाली।
16–राज.सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

धारा 183, 188, 209 रा0का0अधि0
श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
श्री कैलाश चन्द्र गायरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–22.11.2017

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि वाके मौजा कदमाली की खाता संख्या 297 की आराजी नं. 233 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके पडोस पूर्व में कदमाली गांव जाने का रास्ता, पश्चिम में रोड़, उत्तर में निम्बाहेड़ा–मरजीवी रोड़ तथा दक्षिण में सरकारी भूमि स्थित है। उक्त चारों पडोसों के बीच की भूमि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की होकर वादीगण अपने पिता दुर्गा बंजारा के जमाने से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण को इस भूमि से कोई सम्बन्ध, सरोकार नहीं हैं फिर भी वे उक्त आराजीयात के पूर्व व उत्तर दिशा में जबरन नाजायज कब्जा करना चाहते हैं तथा अवैध तरीके से वादीगण की कमजोरी का फायदा उठाने की नियत से जबरन पत्थर डाल कर व मवेशी बांध कर कब्जा करने लगे। वादीगण द्वारा मना करने पर धमकी दी व जबरन पत्थर ला कर डाले और अवैध अतिक्रमण किया। वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त पत्थर व रोड़ीयां हटाने हेतु कहा तो वे किसी भी सुरत में मानने को तैयार नहीं है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को बेदखल कराने के अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा किये गये नाजायज कब्जे को हटाया जाकर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12 व 13 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा प्रस्तुत किया। अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में अंकित किया की उक्त भूमि वादी को गलत आवंटित की गई जहां पर वादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। जिन पडोसों के बीच की भूमि का वादी ने वर्णन किया है वहां पर वास्तव में गांव कदमाली की आबादी भूमि होकर प्रतिवादीगण व अन्य व्यक्तियों के रिहायशी पक्के मकान व मवेशी रखने के बाड़े कई वर्षो से बने होकर प्रतिवादीगण अपने बाप–दादाओं के जमाने से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण का मौके पर कब्जा होना स्वीकार नहीं। वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण को परेशान करने की गरज से व धनराशि एंठने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया है। जहां प्रतिवादीगण के मकान बने हुए हैं उनसे सम्बन्धित सारा सरकारी रेकार्ड प्रारम्भ से ही प्रतिवादीगण के नाम चला आ रहा है तथा वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, नल व विद्युत के कनेक्शन भी कायम है। मौके पर प्रतिवादीगण की रोड़ीयां और पत्थर नहीं होकर मकान आदि विधिवत रूप से कायम है। इस सम्बन्ध में वादीगण ने धारा 183 रा.का.अधि. की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण संख्या 1/2012 होकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिए वादीगण का यह दावा रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त के कारण निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी के गलत आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही भी प्रतिवादीगण की ओर से धारा 14(4) भू आवंटन अधिनियम के तहत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ़ के समक्ष विचाराधीन है और मौके पर आबादी की भूमि का विवाद पक्षकारान के मध्य होने से इस न्यायालय द्वारा वादीगण के पक्ष मे कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। वादीगण ने जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ को आवश्यक पक्षकान नहीं बनाया इसलिए भी वादी का दावा चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का दावा निरस्त फरमाया जावे।

वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई–

1– आया प्रतिवादीगण ने वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादी की खातदेारी व कब्जे की आराजीयात की पूव व उत्तरी मेड पर नाजायज कब्जा कर लिया है। उक्त नाजायज कब्जे को हटवाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

– जिम्मे वादीगण

2– आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी है ?

– जिम्मे वादीगण

3– आया वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

4– आया वाद रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से चलने योग्य नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2059–62 ग्राम कदमाली की खाता संख्या 297 की आराजी नं. 233 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में शोला पिता दीपा बंजारा निवासी कदमाली, मानसिंह पिता अजारी बंजारा निवासी कदमाली, बंशीलाल पिता मांगीलाल बंजारा निवासी कदमाली, अमर सिंह पिता देवा बंजारा निवासी कदमाली, गणेश पिता नानुराम रावत निवासी सगवाड़िया, रामलाल पिता मेघा भील निवासी नयाखेड़ा, खेमराज पिता मांगु बंजारा निवासी कदमाली, सदालाल पिता मांगु बंजारा निवासी कदमाली, राजु पिता दुर्गा बंजारा निवासी कदमाली के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये हैं। इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने राजु पिता दुर्गा बंजारा निवासी कदमाली, जयसिंह पिता हेमा बंजारा निवासी कदमाली, शंकरसिंह पिता नाहर सिंह राजपूत निवासी कदमाली, खेमराज पिता किशना बंजारा निवासी कदमाली,

राजू पिता गोरीलाल बंजारा, रामलाल पिता किशना बंजारा निवासी कदमाली, अमरसिंह पिता हेमा बंजारा निवासी कदमाली, गंगाराम पिता दल्ला बंजारा निवासी कदमाली, लालुराम पिता दल्ला बंजारा निवासी कदमाली के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

हमने बहस पर मनन किया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से मात्र प्रदर्श–1 प्रस्तुत किया गया है जो राजस्व रेकार्ड की प्रति है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रदर्श–1 में ग्राम कदमाली की आराजी नं. 233 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि दुर्गा पिता रूपा बंजारा के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 642, दिनांक 31.07.1992 से गैर खातेदारी में दर्ज हुई थी तथा विरासत से जरिये इन्तकाल संख्या 1056 दिनांक 10.01.2007 से दुर्गा के समस्त वारिसान वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने अपने पक्ष के समर्थन मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं परन्तु दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वाद पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी प्रदर्श–1 में प्रश्नगत भूमि वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। गैर खातेदारी भूमि पर वादीगण को किसी प्रकार के स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा वादीगण ने भी अपने वाद पत्र में अंकित करते हुए बेदखली का वाद प्रस्तुत किया है। इस प्रकार मौके पर कब्जे के अभाव में वादीगण के पिता को किया गया आवंटन भी नियमानुरूप नहीं माना जा सकता है। वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे हैं।

अतः वादीगण का दावा साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 22.11.2017 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा